न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 39/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00054

उनवान

1. रमनलाल
2. सुदामा
3. मदनमोहन
4. श्रीमोहन
5. रामपति वेवा मंगती
6. सुमित्रा वेवा बच्चू

पिस0 मंगती जाति ब्राहम्ण निवासी गढी ब्राहम्ण तह0 भुसावर, भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सहायक अभियन्ता पी0डब्ल्यू0डी0 वैर।
2. कनिष्ठ अभियन्ता पी0डब्ल्यू0डी0 भुसावर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी भुसावर दि0 26.05.2016 प्र.सं. 109/14 उनवानी रामपति बनाम सहायक अभियन्ता।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गिरीश चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय दिनांक–05.09.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 83 रकवा 02 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम गढी ब्राहम्ण तहसील भुसावर के वादी/अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। वादी/अपीलाण्ट की उक्त आराजी से लगा हुआ खसरा नम्बर 82 राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 82 में प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा सडक का निर्माण किया जा रहा है और उक्त खसरा नम्बर 82 की आड में प्रतिवादी/रैस्पो0, अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे की आराजी खसरा

नम्बर 83 में बिना कोई अधिकार सडक डालना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे की विधिवत अन्वीक्षा नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की अभिवचन के आधार पर दावे में तनकियात कायम की गई हैं किन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय किसी भी तनकी का विवेचन नहीं किया गया है और ना ही उभयपक्ष की कोई साक्ष्य ही रिकार्ड की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे का मुख्य बिन्दू अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में खसरा नम्बर 82 की आड में सडक निर्माण करने से सम्बन्धित था जिसका विनिश्चय बिना साक्ष्य के तय नहीं किया जा सकता था। इस बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करते हुये, रैस्पो0 के प्रभाव में आकर अपीलाण्ट का दावा खारिज करने की आज्ञा देने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 द्वारा खसरा नम्बर 82 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में सडक का निर्माण किया जा रहा है। अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी में कोई सडक का निर्माण नहीं किया गया है। इस बाबत् पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 83 की आड में खसरा नम्बर 82 पर अतिक्रमण करने की मंशा से खसरा नम्बर 82 में चल रहे सडक निर्माण कार्य को रूकवाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अत्यन्त सूक्ष्म एवं अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे मात्र यह अंकित किया है कि ''पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर ग्राम गढी ब्राहम्ण खसरा नम्बर 82 गैर मुमकिन रास्ता पर ही सडक निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवादी की भूमि पर कोई निर्माण नहीं है'' किन्तु अपीलाधीन आदेश में ना तो कथित मौका जॉच की तिथि, समय आदि बताया गया है और ना ही यह बताया गया है कि कथित मौका जॉच की सूचना पक्षकारो को दी गई थी अथवा नहीं और मौका जॉच के समय कौन–कौन पक्षकार उपस्थित या अनुपस्थित थे। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई मौका रिपोर्ट अथवा साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है।

6. हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.12.2015 में अंकित है कि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 की ओर से जवाब पेश नहीं किया है, अतः जवाब बन्द किया जाता है। जबकि प्रतिवादी/रैस्पो0 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में, दिनांक 13.04.2015 अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब दावा संलग्न है। परन्तु उक्त जवाब दावे की प्रस्तुति का वर्णन, अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आदेशिका में नहीं है। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 28.01.2016 से प्रकरण में तनकियात कायम की गई हैं। किन्तु अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय किसी भी तनकी का विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है। अर्थात अपीलाधीन निर्णय तनकीवाईज पारित नहीं किया गया है। आर्डर 20 रूल 5 सी.पी.सी. के अनुसार तनकीयात कायम होने पर प्रकरण का निस्तारण तनकीवाईज होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः तनकीवार, तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.10.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official